न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 151/18 वाद

श्री नवलसिंह पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम वादी

1. श्री प्रतापसिंह पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती तोली पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती भमरी पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती रतु पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती कमला पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. मु. कशोरबाई बेवा स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता वादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 27.09.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए काश्तकारी अधिनियम 1955 का राजस्व ग्राम चरमर पटवार क्षेत्र कोट के आराजी संख्या 589 रकबा 0.0400 हैक्टेयर का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त कृषि भूमि में वादी सहखातेदार होकर उसका हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार सहुलियत से काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि का अभी विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बिना विधिक विभाजन ही अपने शामलाती हिस्से को विक्रय करने पर आमादा है, यदि उनके द्वारा अपना शामलाती हिस्सा किसी अजनबी को बिकाव कर वादी को उसके शामलाती हिस्से से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे वादी को भारी नुकसान होगा। वादी ने कई बार

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप आपसी सहमति से भूमि का विभाजन करलें, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 सहमत नहीं हो रहे है। उक्त शामलाती हिस्से को बिना विधिक विभाजन विक्रय किए जाने का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 स 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उक्त भूमि या इसके भाग से बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि पर अवैध निर्माण नहीं करे, वादी के काश्त किये जाने में विघ्न एवं बाधा उत्पन्न नही करे, वादी को फसलों की पिलाई किये जाने से रोके नहीं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 शामलाती हिस्सा विक्रय नहीं करें, किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विघ्न एवं बाधा उत्पन्न नहीं करे। न तो उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने रिश्तेदार, सहयोगी आदि से ही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीणगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 6 की और से महेन्द्र मेनारिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण को समूचित अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब अवसर बन्द किए गए। वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिववक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी द्वारा वाद पत्र के साथ सलंन जमाबंदी ग्राम चरमर पटवार मण्डल कोट सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या नया 135 के आराजी संख्या 589 रकबा 0.0400 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार होकर वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपने ही सहखातेदार के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। जब तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का एक एक इंच पर कब्जा एवं अधिकार होता है। खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हो जाता है तब तक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। जबकि वादी द्वारा वाद बंटवारे का न प्रस्तुत कर केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(घ) "जहाँ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है।" वादी के वादपत्र के

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

...न से भी स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात
...खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत
...खातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा
...सकता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7
...नियम 11(घ) के तहत विधि द्वारा वर्जित है।

अतः आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध बटवारे का वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है। निर्णय खुलेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर मसल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

(प्रतिमा वर्मा)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर

अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 151/2018 सन 2018

वादी श्री नवलसिंह पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1)श्री प्रतापसिंह पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2)श्रीमती तोली पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3)श्रीमती भमरी पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4)श्रीमती खु पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5)श्रीमती कमला पिता स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (6)मु. कशोरबाई बेवा स्व. दौलतसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (7)राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :—

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध बटवारे का वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि.....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख 27 माह 09 सन् 2023 को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....

पद .....उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

प्रतिवादी द्वारा ... आवश्यक...
में तनकीहात की आवश्यकता ...
अत: पत्रावली वास्ते लाइन ...
27/6/23 को पेश हो।

27.9.23 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी का वाद
सहखातेदार के विरुद्ध पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता
है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा संलग्न पत्रावली किया गया।
निर्णय लेकर इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार बोर्ड नम्बर से कम
हो।

प्रतिमा वर्मा
DAS